ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः ..छा.का.नि.....105/22 दिनांक 15/07/2022

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्षा,
स्नातकोत्तर विभाग,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

2. सभी प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
(स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः–स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर, सत्र– (2021–23) में ऑनलाईन आवेदन किये हुए छात्र / छात्राओं का स्नातकोत्तर विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय स्तर पर Spot Admission Process एवं कोटा के तहत नामांकन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषयक स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– 2021–23 मे नामांकन हेतु आवेदित वैसे छात्र / छात्रा जिनका अब तक नामांकन नहीं हो सका है, वैसे छात्र / छात्रा अपने द्वारा चयनित विभाग / महाविद्यालय में रिक्त सीट के विरूद्ध ***"पहले आओ पहले पाओ"*** नीति के तहत अपना ***Spot Admission*** ले सकते हैं। इस रिक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूची जारी नहीं की जायेगी। विभागाध्यक्षों / प्रधानाचार्यों से आग्रह है कि कुल रिक्त सीट के विरूद्ध छात्र / छात्रा का नामांकन ***दिनांकः– 16.07.2022 एवं 18.07.2022 तक*** करेंगे।

विशेष कोटा के तहत् ***NSS, NCC, Fine Arts, Sports, Scott and Guide*** के लिये विषयवार दो–दो सीट नामांकन के लिये आरक्षित है, जो कि विषयवार स्वीकृत सीट के अतिरिक्त है। विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य से आग्रह है कि यदि कोई छात्र / छात्रा उपरोक्त कोटा के आधार पर नामांकन का आग्रह करते हैं तो उनके आवेदन को कोटा के अधीन रिक्त सीट को दर्शाते हुए तत्काल छात्र–कल्याण कार्यालय को अग्रसारित करेंगे। छात्र–कल्याण कार्यालय उनके आवेदन पर नियमानुकूल नामांकन की अनुसंशा करेंगे। तत्पश्चात् वैसे छात्र / छात्रा का नामांकन संबंधित विभाग / महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

उक्त छात्र / छात्राओं को चयन–पत्र (Selection letter) की आवश्यकता नहीं है परंतु ऐसे छात्र / छात्रा के लिये भी नामांकन की अहर्ता वही होगी जो **पत्रांक–** ***छा०क०– 37 / 22 दिनांक– 24.03.2022*** के क्रम संख्या– 3 में वर्णित है, जो निम्न हैः– (स्नातकोत्तर में नामांकन

CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर नामांकन के लिये प्रतिष्ठा (Honours) विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अनुषांगिक (Subsidiary), सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे छात्र/छात्रा नामांकन के पात्र नहीं होंगे।)।

नोटः–

1. सभी विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षा एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, नामांकित छात्र/छात्राओं का नामांकन सूची Update हेतु विहित प्रपत्र में बनाकर जिसमें 1. नाम 2. विषय 3. फॉर्म आई0 डी0 नं0 4. वर्ग क्रमांक 5. महिला/पुरूष 6. आरक्षण कोटि 7. विशेष कोटा का विवरण (यदि आवश्यक हो तो) आदि दिनांक–20.07.2022 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

15/07/22

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण